

कार्यालय : रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

पत्रांक

1771

/ आर०डी०ए० / 2016-2017

दिनांक

23/5/16

नाम

श्रीमति/श्री पूनम सिधल पत्नी श्री नरेश कुमार सिधल व श्री नरेश कुमार सिधल पुत्र स्व० राम आसेर लाल सिधल निवासी श्री 03केलाश कालोनी तहसील सदर रामपुर।

आपके पत्र दिनांक 02/5/2016 मानचित्र सं० 1636/RDA/2016-17 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित

भवन निर्माण माहल्ला/कारोनी ग्राम गडियान नाहर ताग रामपुर ब्लॉक/भवन सं० पर

निम्नलिखित शर्तों के साथ मानचित्र संशोधन की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संशोधन है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से आगे की शासकीय विभाग स्थानीय निर्माण अध्या किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिजाल प्रभाव नहीं होगा।
3. निम्न प्रयोजन के दिव्य निर्माण की अनुमति दी जा रही है। भवन उसी प्रयोग में लाया जावेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में कोई सुधार व्यय मांगा जाता है। तो बिना किसी आपत्ति के देना होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्यों में उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि कोई अन्य डिमांड जाता है तो इस दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कमी भी जाच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जा सके।
7. आप भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य प्रारंभ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अंतिम में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जाएगा।
9. पर्यावरण को नुकसान न भूमि उपयोग नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 5 फीट लगाया अनिवार्य है। स्वीकृत क्षेत्र इसके साथ सलग्न है। भवन का निर्माण समाप्त होने के एक माह के अन्दर सलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन दे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन प्रयोग में न लायें।
10. प्राधिकरण से अध्यासन (आकृषि) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकृष्य) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
11. दरवाजे व खिड़किया इस प्रकार लगायें कि जब खुले तो उनके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्ट) न हों।
12. बिजली की लाइन से 25 फुट के अन्दर कोई निर्माण न किया जाये।
13. सड़क, सविलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (डिलिडिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध करना होगा।
14. यह मानचित्र उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं जो यह शर्त भी मान्य होगी।
15. सड़क पर अथवा ईकलेन में कोई दैम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनायें जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
16. सुपरवीजन एवं इन्सपेक्शन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
17. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 29/3/2016 का पालन करना होगा।
18. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
19. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, प्राविधिक संस्थाएँ प्रशिक्षण केन्द्र, बैंक हाल, बासत घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सौलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
21. मानचित्र स्वीकृति का न-स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।



23/5/16
सचिव

रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर